भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान अधिनियम, 2017

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

धाराओं का क्रम

धाराएं

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

2. भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान की एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषणा ।

3. परिभाषाएं ।

4. संस्थान का निगमन ।

5. शासी बोर्ड का गठन ।

6. बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, उनकी रिक्तियां और उनको संदेय भत्ते ।

7. सम्पत्तियों का निहित होना ।

8. संस्थान के निगमन का प्रभाव ।

9. संस्थान के कृत्य ।

10. बोर्ड की शक्तियां ।

11. संस्थान का सभी मूलवंशों, पंथों और वर्गों के लिए खुला होना ।

12. संस्थान में अध्यापन ।

13. कुलाध्यक्ष ।

14. संस्थान के प्राधिकरण ।

15. महापरिषद् का गठन ।

16. महापरिषद् की शक्तियां और कृत्य ।

17. सिनेट ।

18. सिनेट के कृत्य ।

19. बोर्ड का प्रधान ।

20. निदेशक ।

21. कुलसचिव ।

22. अन्य प्राधिकरणों और अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य ।

23. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

24. संस्थान की निधि ।

25. विन्यास निधि की स्थापना ।

26. संस्थान का बजट ।

27. लेखा और संपरीक्षा ।

28. वार्षिक रिपोर्ट ।

29. पेंशन, भविष्य निधि, आदि ।

30. संस्थान के आदेशों और लिखतों का अधिप्रमाणन ।

31. नियुक्तियां ।

32. परिनियम ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

धाराएं

33. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे ।

34. अध्यादेश ।

35. अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे ।

36. संस्थान के प्राधिकरणों द्वारा कारबार का संचालन ।

37. माध्यस्थम् अधिकरण ।

38. रिक्तियों द्वारा कार्यों और कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

39. संस्थान द्वारा डिग्रियों, इत्यादि का प्रदान किया जाना ।

40. प्रायोजित स्कीमें ।

41. केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण ।

42. मतभेदों का समाधान ।

43. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति ।

44. संक्रमणकालीन उपबन्ध ।

45. परिनियमों, अध्यादेशों और अधिसूचनाओं का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना ।

भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान अधिनियम, 2017

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2018 का अधिनियम संख्यांक 3)

[5 जनवरी, 2018]

भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान नामक संस्था को एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था होने की घोषणा करने के लिए तथा उसके निगमन और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान अधिनियम, 2017 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान की एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषणा—भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान के रूप में ज्ञात संस्था के उद्देश्य ऐसे हैं, जो उसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाते हैं। इसलिए यह घोषणा की जाती है कि भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है।

3. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के लिए धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन नियत दिन अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित संस्थान का शासी बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से महापरिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "निदेशक" से धारा 20 के अधीन नियुक्त संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है;

(ङ) "निधि" से धारा 24 के अधीन बनाई रखी जाने वाली संस्थान की निधि अभिप्रेत है;

(च) "महापरिषद्" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित महापरिषद् अभिप्रेत है;

(छ) "संस्थान" से धारा 4 के अधीन निगमित भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान अभिप्रेत है;

(ज) "प्रधान" से धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त बोर्ड का प्रधान अभिप्रेत है;

(झ) "कुलसचिव" से धारा 21 में निर्दिष्ट संस्थान का कुलसचिव अभिप्रेत है;

(ञ) "सिनेट" से धारा 17 में निर्दिष्ट संस्थान का सिनेट अभिप्रेत है;

(ट) "सोसाइटी" से आन्ध्र प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2001 (2001 का आन्ध्र प्रदेश अधिनियम 35) के अधीन रजिस्ट्रीकृत भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान सोसाइटी विशाखापत्तनम, आन्ध्र प्रदेश अभिप्रेत है; और

(ठ) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए संस्थान के क्रमश: परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं।

4. संस्थान का निगमन—भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम, आन्ध्र प्रदेश, जो आन्ध्र प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2001 (2001 का आन्ध्र प्रदेश अधिनियम 35) के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्था है, एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, सम्पत्ति को अर्जित करने, धारण करने और व्ययन करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उस नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

5. शासी बोर्ड का गठन—(1) ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा शासी बोर्ड नामक एक बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) प्रधान, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में नियुक्त किया जाएगा, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए:

परन्तु प्रथम प्रधान, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, उस तारीख से, जिसको पहले परिनियम प्रवृत्त होते हैं, छह मास से अनधिक की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) संस्थान का निदेशक—पदेन;

(ग) संप्रवर्तक कम्पनियों के निदेशक बोर्ड से दो व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, "संप्रवर्तक कम्पनियों" से धारा 25 में निर्दिष्ट विन्यास निधि में अभिदाय करने वाली कम्पनियां अभिप्रेत हैं;

(घ) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर से एक आचार्य, जो उस संस्थान के निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ङ) सम्पूर्ण हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला को समाविष्ट करते हुए पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय तथा गैर-नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पांच ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ, जिनके पास शिक्षा, अनुसंधान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में विशेषीकृत ज्ञान या प्रचालन अनुभव है और जो महापरिषद् द्वारा संस्थान के निदेशक के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(च) संस्थान के दो आचार्य, जो संस्थान की सिनेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे; और

(छ) संस्थान के स्नातकों का एक प्रतिनिधि, जो पूर्व छात्र संगम की कार्यकारी समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(2) संस्थान का कुल सचिव बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

(3) बोर्ड साधारणतया एक कलेण्डर वर्ष के दौरान चार बार अधिवेशन करेगा ।

6. बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, उनकी रिक्तियां और उनको संदेय भत्ते—इस धारा में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, बोर्ड के प्रधान या पदेन सदस्यों से भिन्न किसी अन्य सदस्य की पदावधि, उसकी नियुक्ति या उसके लिए नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की होगी ।

(2) कोई पदेन सदस्य, उस पद को, जिसके कारण वह बोर्ड का सदस्य है, रिक्त करने के साथ ही बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा ।

(3) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट किए गए किसी सदस्य की पदावधि, उस सदस्य की पदावधि की शेष अवधि तक बनी रहेगी, जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है ।

(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, पद छोड़ने वाला कोई सदस्य, जब तक केन्द्रीय सरकार अन्यथा निदेश न दे, उसके स्थान पर सदस्य के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट किए जाने तक, पद पर बना रहेगा ।

(5) बोर्ड के सदस्य संस्थान से, ऐसे भत्तों के, यदि कोई हों, हकदार होंगे, जो परिनियमों में उपबन्धित किए जाएं किन्तु धारा 5 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न कोई भी सदस्य किसी वेतन का हकदार नहीं होगा ।

7. सम्पत्तियों का निहित होना—नियत दिन से ही और इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी सभी सम्पत्तियां, जो उस दिन के ठीक पहले सोसाइटी में निहित थीं, उस दिन से ही संस्थान में निहित हो जाएंगी ।

8. संस्थान के निगमन का प्रभाव—नियत दिन से ही,—

(क) किसी संविदा या अन्य लिखत में सोसाइटी के प्रति किसी निर्देश को संस्थान के प्रति निर्देश के रूप में समझा जाएगा;

(ख) सोसाइटी के सभी अधिकार और दायित्व संस्थान को अंतरित हो जाएंगे और वे उसके अधिकार और दायित्व होंगे ।

9. संस्थान के कृत्य—संस्थान निम्न कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(i) पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन तथा ऊर्जा के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान में क्वालिटी और उत्कृष्टता विकसित और संप्रवर्तित करना;

(ii) पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन तथा ऊर्जा के क्षेत्र में इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी प्रबन्धन, विज्ञान और कला में स्नातक, स्नातकोत्तर और डाक्टरेट डिग्रियों को प्रदान करने के लिए किए जाने वाले शिक्षण और अनुसंधान के कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना;

(iii) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो संस्थान अवधारित करे, ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्होंने परीक्षाओं के आधार पर या परीक्षण और मूल्यांकन के किसी अन्य आधार पर यथा निर्णीत प्रवीणता के विहित मानक प्राप्त किए हैं, डिग्रियां,

डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या कोई अन्य शिक्षा सम्बन्धी उपाधियां या पदक प्रदान करना तथा उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसी डिग्रियां, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या कोई अन्य शिक्षा सम्बन्धी उपाधियां या पदक वापस लेना;

COURT BOOK

(iv) सम्मानिक डिग्रियां या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करना और अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां, पुरस्कार और पदक संस्थित करना;

(v) परीक्षा या परीक्षण और मूल्यांकन की किसी अन्य पद्धति के माध्यम से संस्थान में प्रवेश के मानक अधिकथित करना;

(vi) ऐसी रीति में, जिसमें किसी अन्तरराष्ट्रीय महत्ता का प्रत्यायन अर्जित होता है, उसके शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यक्रमों की अन्तर्वस्तु, गुणवत्ता, डिजाइन और निरन्तर मूल्यांकन का प्रबन्ध करना;

(vii) अध्यापन और अनुसंधान के एकीकरण के माध्यम से तेल, गैस और पेट्रोरसायन उद्योग तथा ऊर्जा सेक्टर के फायदे के लिए अनुसंधान और विकास को संप्रवर्तित करना;

(viii) तेल, गैस और पेट्रोरसायन उद्योग तथा ऊर्जा सेक्टर में राष्ट्रीय, प्रादेशिक और अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से नेटवर्किंग के माध्यम से सघन शैक्षिक और अनुसंधान सम्पर्क को संवर्धित करना;

(ix) विश्व के किसी भी भाग में ऐसी शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं के साथ, जिनके उद्देश्य पूर्णत: या भागत: संस्था के उद्देश्यों के समान हैं, शिक्षकों और विद्वानों के आदान-प्रदान, संयुक्त अनुसंधान के द्वारा, प्रायोजित अनुसंधान करके तथा परामर्शदात्री परियोजनाओं, आदि द्वारा सहयोग करना;

(x) पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन तथा ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठियां, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करना;

(xi) छात्रों के लिए छात्र-निवासों, आवासों और छात्रावासों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रबन्ध करना तथा छात्र-निवासों और छात्रावासों में निवास करने के लिए शर्तें अधिकथित करना;

(xii) संस्थान के सभी प्रवर्ग के कर्मचारियों के अनुशासन का पर्यवेक्षण, नियंत्रण और विनियमन करना तथा उनके स्वास्थ्य और साधारण कल्याण की अभिवृद्धि के लिए इंतजाम करना;

(xiii) छात्रों के अनुशासन का पर्यवेक्षण और विनियमन करना तथा उसके स्वास्थ्य और साधारण कल्याण और सांस्कृतिक और सामुदायिक जीवन की अभिवृद्धि के लिए इंतजाम करना;

(xiv) परिनियमों को विरचित करना, उन्हें परिवर्तित, उपांतरित या विखंडित करना;

(xv) संस्थान से सम्बन्धित या उसमें निहित किसी सम्पत्ति का ऐसी रीति में व्यवहार करना, जो संस्थान, अपने उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए उचित समझे;

(xvi) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से दान, अनुदान, संदान या उपकृति प्राप्त करना तथा वसीयतकर्ता, दानदाता, अन्तरक या पूर्व छात्रों, उद्योग या किसी व्यक्ति से जंगम या स्थावर सम्पत्तियों की वसीयतें, संदान, अनुदान और अंतरण प्राप्त करना;

(xvii) संस्थान की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या उसके बिना संस्थान के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेना;

(xviii) शिक्षण के लिए अभिवृत्ति के विकास और छात्र केन्द्रित शिक्षण रणनीतियों को प्रोत्साहित करने के लिए कक्षाओं में नई प्रौद्योगिकी समेकित करना;

(xix) सम्पूर्ण हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला के साथ ही साथ ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाले पेट्रोलियम सेक्टर के क्षेत्र में मुद्रित और गैर-मुद्रित ज्ञान के साधनों का सूचना संसाधन केन्द्र विकसित करना और चलाना;

(xx) संस्थान के कार्यरत वृत्तिकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए तेल, गैस, सम्पूर्ण हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला और ऊर्जा के प्रगतिशील क्षेत्रों में आगे की शिक्षा की व्यवस्था करना;

(xxi) ऐसे विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रमों की प्रस्थापना करना, जिससे संस्थान के परिसर या कम्पनी साइट पर पेट्रोलियम और ऊर्जा सेक्टर में अग्रणी निरन्तर शिक्षण के लिए कार्यरत वृत्तिकों की वर्तमान और भावी आवश्यकताएं पूरी होती हों;

(xxii) उद्योगों को अपने कर्मचारिवृंद को संस्थान में उच्चतर डिग्रियों के लिए तथा ऐसी समस्याओं पर काम करने के लिए जो प्रायोजित उद्योग के लिए हितकारी है, प्रायोजित करने के लिए प्रोत्साहित करना और इस प्रकार उद्योग में एक गहन सम्पर्क और अनुसंधान वातावरण विकसित करने में सहायता करना;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(xxiii) राष्ट्र के फायदे के लिए नए आधारभूत ज्ञान और अनुप्रयुक्त प्रौद्योगिकी की सृजन और कम्पनियों में उसके सक्रिय पारेषण का संवर्धन करना तथा इस प्रयोजन के लिए संस्थान में किए गए नए विकासों को पेटेंट करने के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना करना और उन्हें राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय अनुज्ञप्ति प्रदान करना;

(xxiv) संस्थान के परिसर में या अन्य अवस्थानों में प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वारा विभिन्न सम्बन्धित क्षेत्रों में और डिजाइन उद्योग को अन्तर्वलित करते हुए तथा पाठ्यचर्याओं के संचालन द्वारा जनता को प्रशिक्षण देकर भारत सरकार के कौशन विकास कार्यक्रमों के समर्थन में सक्रिय होना;

(xxv) ऊर्जा की विस्तृत छत्रछाया के अधीन पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संस्थान के कार्यक्रम पर विस्तृत फोकस करना;

(xxvi) ऐसी सभी बातें करना, जो पूर्वोक्त में विनिर्दिष्ट रूप से समाविष्ट नहीं है, जो संस्थान के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों ।

10. बोर्ड की शक्तियां—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बोर्ड संस्थान के कार्यों के साधारण पर्यवेक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा तथा ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा अन्यथा उपबन्धित नहीं हैं तथा उसे सिनेट के कार्यों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति भी होगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड,—

(क) संस्थान के प्रशासन और कार्यकरण से सम्बन्धित नीति के प्रश्नों पर विनिश्चय करेगा;

(ख) पाठ्यक्रमों की अवधि, संस्थान द्वारा प्रदत्त की जाने वाली डिग्रियों और अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियों की नाम पद्धति की बाबत नीति अधिकथित करेगा;

(ग) अध्ययन पाठ्यक्रम संस्थित करेगा तथा दक्षता के मानक और संस्थान द्वारा प्रस्थापित पाठ्यक्रमों की बाबत अन्य शैक्षणिक उपाधियां अधिकथित करेगा;

(घ) काडर संरचना, अर्हता, भर्ती की पद्धति और शिक्षण की सेवा की शर्तों और अनुसंधान संकाय के साथ ही साथ संस्थान के अन्य कर्मचारियों की बाबत नीति अधिकथित करेगा;

(ङ) संरचना के संसाधनों को जुटाने के सम्बन्ध में मार्गदशन करेगा और विनिधान के लिए नीति अधिकथित करेगा;

(च) संस्थान की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या उसके बिना संस्थान के प्रयोजनों के लिए ऋण लेने के लिए प्रस्तावों पर विचार करेगा और उनका अनुमोदन करेगा;

(छ) परिनियम विरचित करेगा और उन्हें परिवर्तित या उपांतरित या विखंडित करेगा;

(ज) अगले वित्तीय वर्ष के लिए संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं और बजट प्राक्कलनों पर विचार करेगा और उसकी विकास योजनाओं के कथन के साथ उस पर ऐसे संकल्प पारित करेगा, जो वह ठीक समझे;

(झ) शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य पद सृजित करेगा उन पर नियुक्तियां करेगा और उनके उत्थान और विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा;

(ञ) संस्थान की विकास योजनाओं और ऐसी योजनाओं की वित्तीय विवक्षाओं की परीक्षा करेगा और उनका अनुमोदन करेगा;

(ट) अगले वित्तीय वर्ष के लिए संस्थान की वार्षिक प्रचालन और पूंजी बजट प्राक्कलनों की परीक्षा करेगा और उनका अनुमोदन करेगा तथा अनुमोदित बजट की सीमाओं के भीतर व्यय मंजूर करेगा;

(ठ) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से और वसीयतकारों, दानदाताओं या अंतरकों से जंगम या स्थावर सम्पत्तियों के दान, अनुदान, वसीयत, संदान, उपकृति और अंतरण प्राप्त करेगा और संस्थान की निधियों को अभिरक्षा में रखेगा;

(ड) फीसों और अन्य प्रभारों को नियत करेगा, उनकी मांग करेगा तथा उन्हें प्राप्त करेगा;

(ढ) संस्थान की ओर से सभी विधिक कार्यवाहियों में वाद लाएगा और प्रतिरक्षा करेगा; और

(ण) सभी ऐसी बातें करेगा, जो पूर्वोक्त सभी या किन्हीं शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों ।

(3) बोर्ड को ऐसी समितियां नियुक्त करने की शक्ति होगी, जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे ।

(4) बोर्ड को भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर परिसर और शैक्षणिक केन्द्र स्थापित करने की शक्ति होगी:

परन्तु भारत के बाहर कोई भी परिसर या शैक्षणिक केन्द्र केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना स्थापित नहीं किया जाएगा ।

COURT BOOK EMPOWERING LEGAL CLARITY

(5) धारा 4 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड संस्थान की किसी भी स्थावर सम्पत्ति का केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना किसी भी रीति में व्ययन नहीं करेगा ।

(6) बोर्ड इस प्रभाव के किसी विनिर्दिष्ट संकल्प के माध्यम से अपनी किन्हीं शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन, संस्थान के प्रधान, निदेशक या किसी अधिकारी या किसी प्राधिकारी को उसके ऐसे कार्य का, जो वह ऐसे प्रत्यायोजित अधिकार के अधीन करता है, पुनर्विलोकन करने का अधिकार आरक्षित रखने के अध्यधीन कर सकेगा ।

11. संस्थान का सभी मूलवंशों, पंथों और वर्गों के लिए खुला होना—(1) संस्थान सभी लिंग के व्यक्तियों के लिए और किसी भी मूलवंश, पंथ, जाति या वर्ग के लिए खुला होगा और छात्रों, शिक्षकों या कर्मचारियों या किसी अन्य सम्बन्ध में, जो भी हो, प्रवेश देने या नियुक्ति करने में धार्मिक विश्वास या वृत्ति के बारे में कोई परीक्षण या शर्त अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(2) संस्थान द्वारा किसी ऐसी सम्पत्ति की कोई वसीयत, दान या अंतरण स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसमें बोर्ड की राय में इस धारा की भावना और उद्देश्यों के विपरीत शर्तें या बाध्यताएं अन्तर्वलित हों ।

12. संस्थान में अध्यापन—संस्थान में समस्त अध्यापन और अन्य शैक्षणिक क्रियाकलाप इस निमित्त बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार संस्थान द्वारा या उसके नाम से चलाए जाएंगे ।

13. कुलाध्यक्ष—(1) भारत का राष्ट्रपति संस्थान का कुलाध्यक्ष होगा ।

(2) कुलाध्यक्ष संस्थान के कार्य और उनकी प्रगति का पुनवर्विलोकन करने के लिए और उसके कार्यों की जांच करने के लिए तथा ऐसी रीति में, जो कुलाध्यक्ष निदेश दे, उस पर रिपोर्ट देने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा ।

(3) ऐसी किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर कुलाध्यक्ष, ऐसी कार्रवाई कर सकेगा और ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह रिपोर्ट में विचार किए गए विषयों की बाबत आवश्यक समझता है और संस्थान ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

14. संस्थान के प्राधिकरण—संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्:—

(क) महापरिषद्;

(ख) शासी बोर्ड;

(ग) सिनेट; और

(घ) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जिन्हें परिनियमों द्वारा संस्थान के प्राधिकरण होना घोषित किए जाएं ।

15. महापरिषद् का गठन—(1) ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए महापरिषद् नामक निकाय का गठन किया जाएगा ।

(2) महापरिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार—पदेन, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) अध्यक्ष, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड—पदेन;

(ग) अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड—पदेन;

(घ) अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक, आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन—पदेन;

(ङ) अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक, गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड—पदेन;

(च) हाइड्रोकार्बन का महानिदेशक—पदेन;

(छ) प्रधान सलाहकार (ऊर्जा), नीति आयोग—पदेन;

(ज) कार्यकारी निदशक, आयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टरेट—पदेन;

(झ) निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बैंगलोर—पदेन;

(ञ) निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ केमिकल टेक्नोलोजी, हैदराबाद—पदेन;

(ट) सचिव, आयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड—पदेन;

(ठ) बोर्ड का प्रधान—पदेन;

(ङ) संस्थान का निदेशक—पदेन; और

(ढ) पेट्रोलियम सेक्टर के क्षेत्र में देश में प्रचालन करने वाले प्राइवेट अस्तित्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो से अन्यून किन्तु चार से अनधिक व्यक्ति, जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने हैं।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(3) संस्थान का कुलसचिव महापरिषद् का पदेन सचिव होगा।

(4) अध्यक्ष को किसी ऐसे व्यक्ति को, जो महापरिषद् का सदस्य नहीं है, अपने अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करने की शक्ति होगी किन्तु ऐसा आमंत्रिती मत देने का हकदर नहीं होगा।

16. महापरिषद् की शक्तियां और कृत्य—इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए महापरिषद् की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:—

(क) समय-समय पर संस्थान के बोर्ड की नीतियों और कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करना और उसके सुधार, विकास और विस्तार के उपाय सुझाना;

(ख) वार्षिक लेखा विवरण, जिसके अन्तर्गत उसकी संपरीक्षा रिपोर्ट सहित तुलनपत्र भी है तथा उस पर शासी बोर्ड के संप्रेक्षणों पर विचार करना और संस्थान के राजवित्तीय प्रबन्ध में सुधारों पर सुझाव देना;

(ग) संस्थान की समग्र गुणता और प्रभावशीलता का पुनर्विलोकन और मूल्यांकन करना तथा संस्थान और उसके पणधारियों के कार्यों में सुधार और उनके बीच आत्मविश्वास निर्माण के लिए उपायों पर सलाह देना;

(घ) संस्थान के लिए विशेष तौर से छात्रों के नियोजन और संसाधन संघटन की बाबत विश्वसनीयता, वातावरण, सम्बन्ध और सम्पर्क उपलब्ध कराना;

(ङ) ऊर्जा और हाइड्रोकार्बन विकास के क्षेत्र में, जिसके अन्तर्गत तेल, गैस, नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि हैं, जिनका अनुसरण करने की संस्थान को आवश्यकता है, के साथ ही साथ बोर्ड द्वारा सलाह के लिए निर्दिष्ट किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में प्रौद्योगिकी के नए अग्रणी क्षेत्रों के सम्बन्ध में संस्थान और उसके बोर्ड को सलाह देना; और

(च) संस्थान या उसके बोर्ड को, सम्पूर्ण हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला के साथ ही साथ ऐसे किसी विषय के सम्बन्ध में, जो बोर्ड द्वारा सलाह के लिए उसे निर्दिष्ट किया जाए, समाविष्ट करने वाले पेट्रोलियम सेक्टर के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उन्नत क्षेत्रों के सम्बन्ध में सलाह देना।

17. सिनेट—संस्थान का सिनेट प्रधान शैक्षणिक निकाय होगा तथा उसकी संरचना ऐसी होगी, जो परिनियमों द्वारा उपबन्धित की जाए।

18. सिनेट के कृत्य—इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अध्यधीन सिनेट संस्थान पर नियंत्रण रखेगा और उसका साधारण विनियमन करेगा तथा उसके शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा उसको प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

19. बोर्ड का प्रधान—(1) प्रधान साधारणतया बोर्ड के अधिवेशनों और संस्थान के दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा।

(2) प्रधान का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि बोर्ड द्वारा किए गए विनिश्चय कार्यान्वित किए जाएं।

(3) प्रधान ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे सौंपे जाएं।

20. निदेशक—(1) संस्थान के निदेशक की नियुक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो परिनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाएं, की जाएगी:

परन्तु प्रथम निदेशक, केन्द्रीय सरकार द्वारा, पहले परिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें वह ठीक समझे।

(2) निदेशक, संस्थान का प्रधान शैक्षणिक और कार्यकारी अधिकारी होगा तथा वह संस्थान के समुचित प्रशासन और शैक्षणिक कार्य-प्रदर्शन और शिक्षण प्रदान करने के लिए तथा उसमें अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) निदेशक, बोर्ड के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट और लेखे प्रस्तुत करेगा।

(4) निदेशक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उसे सौंपे जाएं।

21. कुलसचिव—(1) कुलसचिव की नियुक्ति, ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा उपबन्धित की जाएं और वह संस्थान के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और निधियों का और संस्थान की ऐसी अन्य सम्पत्ति का, जो बोर्ड उसके प्रभार में सुपुर्द करे, अभिरक्षक होगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) कुलसचिव, महापरिषद्, बोर्ड, सिनेट और ऐसी अन्य समितियों के, जो परिनियमों द्वारा उपबन्धित की जाएं, सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

(3) कुलसचिव, अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा ।

(4) कुलसचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम, परिनियमों या निदेशक द्वारा उसे सौंपे जाएं ।

22. अन्य प्राधिकरणों और अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य—उन प्राधिकरणों और अधिकारियों से भिन्न, जो इसमें इसके पूर्व वर्णित हैं, शक्तियां और कर्तव्य, परिनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं ।

23. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान—केन्द्रीय सरकार संस्थान को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजनों के लिए संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् संस्थान को धन की ऐसी राशियां और ऐसी रीति में, जो वह ठीक समझे, संदाय करेगी ।

24. संस्थान की निधि—(1) संस्थान एक निधि रखेगी, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे,—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया समस्त धन;

(ख) सभी फीसें और अन्य प्रभार;

(ग) संस्थान द्वारा अनुदान, दान, संदान, उपकृति, वसीयत या अंतरणों के माध्यम से प्राप्त समस्त धन; और

(घ) संस्थान द्वारा किसी अन्य रीति में या किसी अन्य साधन से प्राप्त समस्त धन ।

(2) निधि में जमा सभी धन को ऐसे बैंकों में जमा किया जाएगा या उसका ऐसी रीति में विनिधान किया जाएगा, जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित की जाए ।

(3) निधि का उपयोजन संस्थान के व्ययों, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन में उपगत व्यय भी हैं, की पूर्ति के मद्दे किया जाएगा ।

25. विन्यास निधि की स्थापना—धारा 24 में किसी बात के होते हुए भी, संस्थान,—

(क) विन्यास निधि तथा किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी अन्य निधि की स्थापना कर सकेगा; और

(ख) अपनी निधि से विन्यास निधि या किसी अन्य निधि में धन का अंतरण कर सकेगा ।

26. संस्थान का बजट—संस्थान प्रत्येक वर्ष आने वाले वित्तीय वर्ष की बाबत एक बजट, उसमें संस्थान की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए, ऐसी रीति में और ऐसे समय पर तैयार करेगा और केन्द्रीय सरकार को उसकी इतनी संख्या में प्रतियां भेजेगा, जो परिनियमों द्वारा उपबन्धित की जाएं ।

27. लेखा और संपरीक्षा—(1) संस्थान, समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, जिसके अन्तर्गत तुलनपत्र भी है, ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए, तैयार करेगा ।

(2) संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा उपगत कोई भी व्यय संस्थान द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और उसके द्वारा संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा के सम्बन्ध में नियुक्त किसी व्यक्ति के ऐसी संपरीक्षा के सम्बन्ध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के सबन्ध में साधारणतया होते हैं तथा उसे विशिष्टतया बहियों, लेखाओं, सम्बन्धित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और संस्थान के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित संस्थान के लेखाओं को उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, केन्द्रीय सरकार को वार्षिक रूप से भेजा जाएगा और वह सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

28. वार्षिक रिपोर्ट—संस्थान प्रत्येक वर्ष, उस वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी तारीख को या उससे पहले, जो परिनियमों द्वारा उपबन्धित की जाए, केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा इस रिपोर्ट की एक प्रति इसके प्राप्त होने के एक मास के भीतर संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी ।

29. पेंशन, भविष्य निधि, आदि—(1) संस्थान, अपने कर्मचारियों के, जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक भी है, फायदे के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसी पेंशन, बीमा और भविष्य निधियां गठित करेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(2) जहां ऐसी किसी भविष्य निधि का गठन इस प्रकार किया जाता है, वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषणा कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के उपबन्ध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे, मानो यह सरकारी भविष्य निधि हो।

COURT BOOK

30. संस्थान के आदेशों और लिखतों का अधिप्रमाणन—संस्थान के सभी आदेशों और विनिश्चयों को निदेशक या संस्थान द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए गए किसी अन्य सदस्य द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा और सभी अन्य लिखतों को निदेशक या ऐसे अधिकारियों के, जो संस्थान द्वारा प्राधिकृत किए जाएं, हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किया जाएगा।

31. नियुक्तियां—निदेशक के सिवाय संस्थान के कर्मचारिवृंद की सभी नियुक्तियां परिनियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार—

(क) बोर्ड द्वारा की जाएंगी, यदि नियुक्ति शैक्षणिक कर्मचारिवृंद में सहायक आचार्य या ऊपर के पद के लिए की जाती है या यदि नियुक्ति गैर-शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के किसी ऐसे काडर में, जिसका अधिकतम वेतनमान सहायक आचार्य के समान है या उससे ऊपर है, की जाती है; और

(ख) किसी अन्य मामले में, निदेशक द्वारा की जाएंगी।

32. परिनियम—इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) अध्यापन विभागों और अन्य शैक्षणिक इकाइयों का बनाया जाना;

(ख) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, छात्र सहायतावृत्ति, पदकों और पुरस्कारों का संस्थन;

(ग) संस्थान के अधिकारियों के जिसके अन्तर्गत प्रधान, निदेशक, कुलसचिव और ऐसे अनय अधिकारी भी हैं, जो परिनियमों द्वारा संस्थान के अधिकारी के रूप में घोषित किए जाएं, पदों का वर्गीकरण, पदावधि, नियुक्ति की पद्धति, शक्तियां और कर्तव्य और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(घ) संस्थान के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृंद का वर्गीकरण, उनकी नियुक्त की पद्धति और सेवा के निबंधनों और शर्तों का अवधारण;

(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए पदों का इस प्रकार आरक्षण, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए;

(च) वह प्ररूप, जिसमें तथा वह समय, जिस पर संस्थान द्वारा बजट और रिपोर्ट तैयार किए जाएंगे;

(छ) वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप;

(ज) संस्थान के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृंद के फायदे के लिए पेंशन, बीमा और भविष्य निधियों का गठन;

(झ) धारा 14 के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट संस्थान के अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य;

(ञ) शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(ट) आचार संहिता, कदाचार के लिए उस पर अनुशासनिक कार्रवाई, जिसके अन्तर्गत कदाचार के कारण कर्मचारी की सेवा समाप्त करना भी है और संस्थान के किसी अधिकारी या प्राधिकरण की कार्रवाई के विरुद्ध अपील की प्रक्रिया;

(ठ) सम्मानिक डिग्रियों का प्रदान किया जाना;

(ड) छात्र निवासों, आवासों और छात्रावासों की स्थापना और अनुरक्षण;

(ढ) बोर्ड के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन; और

(ण) कोई अन्य विषय, जिसे इस अधिनियम द्वारा, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जाए।

33. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे—(1) संस्थान के पहले परिनियम केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित किए जाएंगे और उसकी एक प्रति बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

(2) बोर्ड, इस धारा में इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से, समय-समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उनको संशोधित या निरसित कर सकेगा।

(3) किसी नए परिनियम या परिनियमों में अभिवृद्धि या परिनियम के किसी भी संशोधन या निरसन के लिए महापरिषद् का पूर्वानुमोदन अपेक्षित होगा, जो इस पर अपनी सहमति दे सकेगी, सहमति को रोक सकेगी या इसे विचारार्थ बोर्ड को विप्रेषित कर सकेगी।

(4) किसी नए परिनियम या विद्यमान परिनियम को संशोधित या निरसित करने वाले किसी परिनियम की तब तक वैद्यता नहीं होगी जब तक उसे महापरिषद् द्वारा अनुमति नहीं दे दी जाए ।

COURT BOOK

34. अध्यादेश—इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन संस्थान के अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) संस्थान में छात्रों का प्रवेश;

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण;

(ग) संस्थान की सभी डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;

(घ) वे शर्तें, जिनके अधीन छात्रों को संस्थान की डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र कार्यक्रमों तथा परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा और उन्हें प्रदान किए जाने की पात्रता सम्बन्धी शर्तें;

(ङ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र-सहायतावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों के प्रदान किए जाने की शर्तें;

(च) नियुक्ति की शर्तें और ढंग तथा परीक्षा निकाय, परीक्षकों और अनुसीमकों के कर्तव्य;

(छ) परीक्षाओं का संचालन;

(ज) संस्थान के छात्रों में अनुशासन को बनाए रखना;

(झ) संस्थान में अध्ययन पाठ्यक्रमों और संस्थान की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(ञ) संस्थान के छात्रों के निवास की शर्तें और छात्र-निवासों, छात्रावासों में निवास के लिए फीसों तथा अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण; और

(ट) कोई अन्य विषय, जिसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा, अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित किया जाना है या किया जाए ।

35. अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे—संस्थान का पहला अध्यादेश केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित किया जाएगा ।

(2) इस धारा में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, अध्यादेश सिनेट द्वारा बनाए जाएंगे ।

(3) सिनेट द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश, उस तारीख से प्रभावी होंगे, जो वह निदेश दे, किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश यथाशीघ्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और बोर्ड द्वारा उस पर अपने अगले उत्तरवर्ती अधिवेशन में विचार किया जाएगा ।

(4) बोर्ड को संकल्प द्वारा ऐसे किसी अध्यादेश को उपांतरित या रद्द करने की शक्ति होगी और ऐसा अध्यादेश, ऐसे संकल्प की तारीख से तदनुसार, यथास्थिति, उपांतरित या रद्द हो जाएगा ।

36. संस्थान के प्राधिकरणों द्वारा कारबार का संचालन—संस्थान के प्राधिकरण, अपने स्वयं के तथा उनके द्वारा नियुक्त समितियों के, यदि कोई हों, कारबार के संचालन के लिए, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों में कोई उपबन्ध नहीं है, इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों से संगत अपने स्वयं के प्रक्रिया नियम रख सकेंगे ।

37. माध्यस्थम् अधिकरण—(1) संस्थान और उसके किसी कर्मचारी के बीच किसी संविदा से उद्भूत होने वाला कोई भी विवाद सम्बन्धित कर्मचारी के अनुरोध पर या संस्थान की प्रेरणा पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसमें संस्थान द्वारा नियुक्त एक सदस्य, कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा ।

(2) माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(3) किसी भी ऐसे मामले की बाबत, जिसका उपधारा (1) द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है, किसी भी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी ।

(4) माध्यस्थम् अधिकरण को अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में माध्यस्थम् से सम्बन्धित कोई बात, इस धारा के अधीन माध्यस्थम् को लागू नहीं होगी ।

38. रिक्तियों द्वारा कार्यों और कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना—इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन स्थापित संस्थान या महापरिषद् या बोर्ड या सिनेट या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि—

(क) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के चयन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जिससे मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं पड़ता हो ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

39. संस्थान द्वारा डिग्रियों, इत्यादि का प्रदान किया जाना—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, संस्थान को इस अधिनियम के अधीन डिग्रियां और अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां तथा पदक प्रदान करने की शक्ति होगी ।

40. प्रायोजित स्कीमें— इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जब कभी संस्थान किसी सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य अभिकरण से, जिसके अन्तर्गत संस्थान में निष्पादित या विन्यासित की जाने वाली अनुसंधान स्कीम या परामर्श समनुदेशन, अध्यापन कार्यक्रम या प्रधान आचार्य पद या छात्रवृत्ति इत्यादि को प्रायोजित करने वाला उद्योग भी है, निधियां प्राप्त करता है, तो—

(क) संस्थान द्वारा प्राप्त की गई रकम को संस्थान की निधि से पृथक् रखा जाएगा और उसका उपयोग केवल उस स्कीम के प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा; और

(ख) उसे निष्पादित करने के लिए अपेक्षित कर्मचारिवृंद की भर्ती प्रायोजित संगठनों द्वारा अनुबद्ध निबंधनों और शर्तों के अनुसार की जाएगी;

परन्तु खण्ड (क) के अधीन अनुपयोजित शेष किसी भी धन को इस अधिनियम की धारा 25 के अधीन सृजित विन्यास निधि में अंतरित किया जाएगा ।

41. केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण—इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए संस्थान ऐसे निदेशों का पालन करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे समय-समय पर जारी किए जाएं ।

42. मतभेदों का समाधान—यदि, इस अधिनियम के अधीन संस्थान द्वारा इसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कृत्यों के निर्वहन में या उसके सम्बन्ध में संस्थान और केन्द्रीय सरकार के बीच कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है तो उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

43. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति—(1) यदि, इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हों:

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश, नियत दिन से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

44. संक्रमणकालीन उपबन्ध—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पहले सोसाइटी के उस हैसियत से कार्यकरण के लिए शासी बोर्ड तब तक इस प्रकार कार्य करता रहेगा, जब तक संस्थान के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी नए बोर्ड का गठन नहीं कर दिया जाता, किन्तु इस अधिनियम के अधीन नए बोर्ड के गठन पर ऐसे गठन से पहले पद धारण करने वाले बोर्ड के सदस्य पद धारण नहीं करेंगे; और

(ख) जब तक इस अधिनियम के अधीन पहले परिनियम और अध्यादेश नहीं बनाए जाते हैं, इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पहले यथा प्रवृत्त भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान सोसाइटी के परिनियम और अध्यादेश, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं हैं, संस्थान को लागू होते रहेंगे ।

45. परिनियमों, अध्यादेशों और अधिसूचनाओं का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना—(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम और प्रत्येक अध्यादेश या जारी की गई अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी ।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश या जारी की गई अधिसूचना, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हों, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे, जो एक सत्र या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या उत्तरवर्ती सत्र के ठीक पश्चात् वाले सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, परिनियम या अध्यादेश या अधिसूचना में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हैं कि ऐसा परिनियम या अध्यादेश नहीं बनाया जाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, तो तत्पश्चात् परिनियम, अध्यादेश या अधिसूचना, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होंगे या निष्प्रभाव हो जाएंगे; तथापि परिनियम, अध्यादेश या अधिसूचना के अधीन पहले से की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(3) परिनियम, अध्यादेश या अधिसूचना बनाने की शक्ति के अन्तर्गत परिनियम, अध्यादेश या अधिसूचना या उनमें से किसी को उस तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले की न हो, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी है, किन्तु किसी भी परिनियम, अध्यादेश या अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा, यदि उससे किसी ऐसे व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, जिसे ऐसे परिनियम, अध्यादेश या अधिसूचना लागू हों ।

———